मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय

क्रमांक 300 / मु.स. / 2015 भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015

प्रति,

3479
31-7-015

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :— प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि के संबंध में।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में लिखे गए पत्रों का कृपया संदर्भ लें। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, इन योजनाओं में अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों का पंजीयन करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसकी प्रगति की मैं स्वयं सप्ताह में दो बार समीक्षा करता हूँ।

कलेक्टरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अब तक 1.11 करोड़ आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए। कई जिलों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, विशेष रूप से अनूपपुर, उमरिया (लक्ष्य के 100 प्रतिशत से अधिक) और देवास, छिन्दवाड़ा एवं बालाघाट (लक्ष्य के 75 प्रतिशत से अधिक)।

किन्तु भारत सरकार द्वारा संचालित वेबसाइट में मध्यप्रदेश की पंजीयन प्रगति 61 लाख दर्शाई जा रही है। इस तरह 50 लाख आवेदनों का अंतर है। इस संबंध में आयुक्त, संस्थागत वित्त लगातार बैंक अधिकारियों के संपर्क में रहें। मैंने स्वयं कुछ बैंकों के अध्यक्षों को पत्र लिखा और दूरभाष पर भी चर्चा की। बैंक अधिकारियों से जो फीडबैक प्राप्त हो रहा है, वह यह है कि अभियान के दौरान बैंक शाखाओं में थोक में आवेदन पत्र पहुंचाए गए। सूक्ष्म रूप से इनको देखे जाने पर यह आलोक में आया कि अनेक आवेदन पत्र गलत बैंकों को पहुंचाए गए। यह भी पाया गया कि कई आवेदकों के खाते में जीरो बैलेंस ही उपलब्ध है, और कुछ आवेदन पत्र अस्पष्ट, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण भरे गए।

यह स्वाभाविक है कि जब अभियान चलाया जाता है तो कुछ आवेदन पत्रों में त्रुटियां होंगी, किन्तु यह आवश्यक है कि हम सुनिश्चित करें कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों की संख्या न्यूनतम रहे। यह भी आवश्यक है कि प्रशासन द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों की संख्या और बैंक द्वारा निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या में मिलान किया जाए, तभी सही आंकड़े सामने आएंगे। मैं चाहूंगा कि आप न केवल लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ बात करें, बल्कि आपके जिले में स्थित समस्त बैंक शाखाओं के मैनेजरों की बैठक बुलाएं जिसमें बैंकवार, शाखावार प्रेषित, प्राप्त एवं निराकृत आवेदन पत्रों की सही संख्या सुनिश्चित की जावे। साथ ही, अस्वीकृति के मुख्य

कारण भी पता करें, जिससे प्रणाली में सुधार किया जा सके और अभियान सही मायने में चलाया जा सके।

मैं चाहूंगा कि बैंक मैनेजरों के साथ यह बैठक आगामी एक सप्ताह में कर लें और **दिनांक 14.08.2015** के पूर्व मुझे आपके जिले के बैंकवार एवं शाखावार मिलान किए हुए आंकड़े भेजें, जिससे शाखावार प्राप्त, अस्वीकृत, निराकृत एवं लंबित आवेदन पत्रों की संख्या अधिकारिक रूप से पता लगे।

31/7/2015

(ॲन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन

पृ. क्र. 300 /मु.स./2015 भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. आयुक्त, संस्थागत वित्त, विंध्याचल भवन, भोपाल
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।